

महिलाओं द्वारा भारतीय कानून लैंगिक आधार पर दुरुपयोग

प्रलिस के लयः

[जनहति याचका, सर्वोच्च नयायालय, दहेज नषध अधनयलम, 1961, धारा 498A, भारतीय दंड संहतल, दंड प्रकरयल संहतल, 1973, घरेलू हसल से महललओं का संरक्षण अधनयलम, 2005, वधल आयोग।](#)

मेन्स के लयः

दहेज और घरेलू हसल कानूनों का दुरुपयोग और संबधतल मुददे, लगल तटस्थ कानून की आवश्यकतल

[स्रोतः इंडयलन एक्सप्रेस](#)

चरूा में कयों?

हाल ही में, बंगलूरू में एक तकनीकी वशलषज्ज के आतमहतयल करने के बाद [सर्वोच्च नयायालय](#) में एक [जनहति याचका \(PIL\)](#) दायर की गई है, जसलमें [दहेज और घरेलू हसल से जुडे मौजूदा कानूनों](#) की समीक्षा और सुधार का अनुरोध कयल गया है ताक उनका दुरुपयोग रोका जा सके।

- याचका में कहा गया है कल [दहेज नषध अधनयलम, 1961](#) और [भारतीय दंड संहतल \(अब भारतीय नयाय संहतल\)](#) की [धारा 498A](#) का दुरुपयोग असंबधतल ववलदों को नपलटाने और पतल के परवलर को परेशान करने के लयल कयल गया है।

भारतीय कानून कसल प्रकार लगल-पक्षपाती है?

- IPC की धारा 304B (दहेज मृतयु):** समय के साथ लोगों को यह वशलवास दललया गया कल ववलहतल भारतीय महलल की हर अपराकृतकल या असामयकल रूप से हुई मृतयु दहेज मृतयु है।
 - ऐसे मामलों में पतल यल रशलतेदार को कम-से-कम सात वर्ष के कारावास की सज़ा दी जाएगी, जसल आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
- IPC की धारा 498A (महललओं के प्रतल कूरतल):** धारा 498A के तहत ववलहतल महलल के प्रतल कूरतल या उत्पीडन का दोषी पाए जाने पर पतल यल उसके रशलतेदारों को तीन साल तक की कैद और जुरमाने का प्रावधान है।
 - धारा 304B एक गैर-जमानती, गैर-समझौता योग्य और संज्जेय अपराध है, जसका अर्थ है कल यद आरोप झूठा भी हो तब भी मुकदमा चलेगा और पतल को नरिदोष साबतल होने तक दोषी माना जाएगा।
 - राष्टरीय अपराध रकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012 में लगभग 200,000 लोगों को अप्रमाणतल दहेज के आरोपों में गरलफ्तार कयल गया, जलनमें से केवल 15% अभयुक्तों को दोषी ठहराया गया।
- IPC की धारा 375 (बलात्कार):** IPC की धारा 375 के तहत केवल पुरुष ही अपराधी हो सकते हैं और महललएँ ही बलात्कार की शकलर हो सकती हैं। यह धारा पुरुषों और ट्रांसजेंडरों को बलात्कार पीडतल के रूप में मान्यतल नहीं देती है।
 - भारतीय दंड संहतल की धारा 377 पुरुष पीडतलों के लयल एकमात्र वकल्लप है, लेकनल इसमें कई चुनौतयलें हैं तथा यल्युरुषों द्वारा पुरुषों पर कयल जाने वाले यौन शोषण को बलात्कार के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है।
- BNS की धारा 69:** यह "धोखे से यौन संबध बनाने" को अपराध मानती है, जसलमें "बनल इरादे के कसलल महलल से शादी करने का वादा करना" भी शामिल है, जसके लयल 10 साल तक की कैद और जुरमाना हो सकता है।
 - शादी के वादे पर सहमतल से बनाया गया यौन संबध तभी अपराध माना जाएगा जब पुरुष इससे मुकर जाए, महलल नहीं।
 - "शादी का वादा" करना गैरकानूनी है, जससे कसलल वयकृतल की नजतल और स्वायत्ततल के अधकलर का उल्लंघन हो सकता है, जबकल इस तथय की अनदेखी की जा सकती है कल महलल ने स्वेच्छा से इस रशलते में प्रवेश कयल है।
- IPC की धारा 354:** यह महलल की मर्यादा और मान सम्मान को कषतल पहुँचाने के लयल उस पर कयल गया हमला या उसके साथ गलत मंशा के साथ ज़ोर जबरदस्ती है। हालाँकल पुरुष और ट्रांसजेंडर की मर्यादा और मान सम्मान की रक्षा के लयल ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है।
 - ऐसे मामले भी देखने को मललते हैं जलनमें महललएँ पुरुषों को धमकाती हैं तथा इसके लयल उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता (कयोंकल देश के कानून में ऐसे अपराधों से पुरुषों की रक्षा नहीं की गई है) है।
- CrPC अधनयलम, 1973 की धारा 125:** भारत में दंड प्रकरयल संहतल, 1973 की धारा 125 के तहत न केवल पत्नी बल्कल उसके माता-पतल

एवं बच्चों के लिये भी भरण-पोषण की अवधारणा को नरिधारति कयिा गया है।

- भरण-पोषण कानून का उद्देश्य पुरुषों को अपने आश्रितों के भरण-पोषण के लिये पूरी तरह ज़िम्मेदार बनाना (बनिा इस बात पर वचिार कएि कएि महिलाओं को वास्तव में वत्तिलीय सहायता की आवश्यकता है या नहीं) है।

- घरेलू हसिा से महिला संरक्षण अधनियिम, 2005: इसमें पुरुषों तथा ट्रांसजेंडर को घरेलू दुर्व्यवहार के संभावति शकिार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
 - अपने जीवनसाथियों से उत्पीडन या दुर्व्यवहार का सामना करने वाले पुरुषों को इस अधनियिम के तहत कोई वधिकि संरक्षण प्राप्त् नहीं है और ऐसे मामलों की रपिारट करने पर उन्हें अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।
- हरिसत और तलाक की कार्यवाही: हरिसत वविादों में न्यायालय अक्सर प्राथमकि देखभालकर्त्ता के रूप में महिलाओं का पक्ष लेते हैं और इसमें पुरुषों को अक्सर हाशयि पर रखा जाता है।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधनियिम, 2012: एकल महिला कसिी भी बच्चे को गोद ले सकती है लेकनिएकल पुरुष बालकिा को गोद नहीं ले सकता है।
 - वविाहति संबंध होने की स्थतिि में पत-पत्नी दोनों को गोद लेने के लिये सहमत होना आवश्यक है।

नोट: [?][?][?][?][?] [?][?][?][?][?] [?][?][?][?][?] [?][?][?] [?][?][?] [?][?][?][?][?], 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने पत्नी के लिये गुजारा भत्ता नरिधारति करने हेतु आठ कारक नरिधारति कयि। इसमें नमिनलखिति शामिल हैं:

- पक्षों की सामाजकि और वत्तिलीय स्थतिि
- पत्नी और आश्रति बच्चों की उचित आवश्यकताएँ
- पक्षों की व्यक्तगित योग्यताएँ एवं रोजगार की स्थतिि
- आवेदक के स्वामतिव वाली स्वतंत्र आय या संपत्ति
- वैवाहकि घर में पत्नी का जीवन स्तर
- पारविारकि ज़िम्मेदारियों के लिये कयि गए रोजगार का त्याग
- गैर-कामकाजी पत्नी के लिये उचित मुकदमेबाज़ी लागत
- पत की वत्तिलीय क्षमता, उसकी आय, भरण-पोषण दायतिव एवं देयताएँ

झूटे आरोपों तथा वधिकि रूप से उत्पीडन के क्या प्रभाव होते हैं?

- अवसाद और चतिा: झूटे आरोप या वधिकि रूप से उत्पीडन द्वारा गंभीरमनोवैज्ञानकि संकट उत्पन्न हो सकता है जसिसे वशिवासघात, असहायता और दीर्घकालकि चतिा की भावना उत्पन्न हो सकती है।
- सामाजकि कलंक: वधिकि उत्पीडन या झूटे आरोपों का सामना करने वाले पुरुषों को दोषी या अवशि्वसनीय के रूप में संदर्भति कयिा जा सकता है, जसिके परिणामस्वरूप ये परिवार एवं दोस्तों के साथ सामाजकि नेटवर्क से अलग-थलग हो सकते हैं।
- दमति भावनाएँ: पुरुषों से दृढ़ एवं लचीला होने की सामाजकि अपेक्षाएँ उन्हें अपनी कमजोरी व्यक्त करने या सहायता मांगने से हतोत्साहति करती हैं, जसिके परिणामस्वरूप आंतरकि संकट एवं अनुचित मानसकि स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- वैवाहकि आत्महत्या दर: NCRB के आँकड़े दर्शाते हैं कि वविाहति पुरुषों में महिलाओं की तुलना में आत्महत्या की दर काफी अधकि है, जसिका आंशकि कारण वधिकि एवं सामाजकि चुनौतियाँ हैं।
- वत्तिलीय भार: कई पुरुषों के लिये कानूनी प्रक्रियाओं की फीस का भार तथा रोजगार की संभावति हानि, वत्तिलीय रूप से वनिाशकारी हो सकती है।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

झूटे आरोपों के मामले में नविारण

- भारतीय दंड संहतिा की धारा 500 के अंतर्गत पत,ि, मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है।
- CrPC की धारा 9 के तहत पत,ि उस क्षतपिूरति की वसूली के लिये दावा दायर कर सकता है, जो उसे और उसके परिवार को क्रूरता एवं दुर्व्यवहार के झूटे आरोपों के कारण हुई है।
- IPC की धारा 182 के तहत 498A से संबंधति झूटे मामलों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है। झूटे बयान देने पर न्यायपालकिा को गुमराह करने के आरोप में व्यक्तिको 6 महीने की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

भारतीय कानून में लैंगकि पूर्वाग्रह से संबंधति न्यायकि दृष्टिकोण क्या है?

- [?][?][?][?][?] [?][?][?][?] [?][?][?] [?][?][?] [?][?][?] [?][?][?] [?][?][?] [?][?][?] [?][?][?] [?][?][?] [?][?][?], 1999: सर्वोच्च न्यायालय ने वधिायोग को लकि-तटस्थ बलात्कार कानून के मुद्दे से

नपिटने का नरिदेश दया।

- परणामस्वरूप, वधिकायण की वर्ष 2000 की 172वीं रणिकर्त में बलात्कार के अपराध के स्थान पर "यौन हमले" के रूप में लणितस्थ अपराध को शामिल करने की सफारश की गई।
- [?][?][?][?] [?][?][?] [?][?][?] [?][?][?] [?][?][?] [?][?][?] [?][?][?], 2006: इस मामले में, अपराधी की पत्नी ने बलात्कार को देखा, पीड़िता को थपपड़ मारा, दरवाजा बंद किया और आपराधिक मंशा में संलपितता को प्रदर्शति किया।
 - हालांकि न्यायालय ने फूसला दिया कि उसे बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह एक महिला थी।
- सुशील कुमार शर्मा केस, 2005: याचिकाकर्त्ता ने समानता का उल्लंघन करने के लयि IPC की धारा 498A को चुनौती दी।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस प्रावधान के दुरुपयोग से वधिका अतवािद को बढ़ावा मलि सकता है, लेकिन इसकी संवैधानकि वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य दहेज हत्याओं को रोकना है।
- चंद्रभान केस, 1954: चंद्रभान केस, 1954 में दलिली उच्च न्यायालय ने नषिकर्ष नकाला कपित-पित्नी के बीच मतभेद और शतरुता के दौरान सबसे अधिक नुकसान बच्चों को होता है, क्योंकि पत-पित्नी के खिलाफ अधिकांश शक्यायतें कषणकि आवेश में आकर व्यर्थ बहस के कारण की जाती हैं।
- अर्नेश कुमार बनाम बहार राज्य, 2014: सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498A के तहत अभयिक्त की गरिफ्तारी के समयसावधानी बरतने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, क्योंकि यह एक गैर-जमानती और संज्जेय अपराध है।

भारतीय कानूनों में लैंगकि तटस्थता कैसे प्रापुत की जाए?

- लैंगकि पूरवाग्रह को स्वीकार करना: यह पुराना दृष्टकिण कपिपुरुष अपराधी होते हैं और महिलाएँ पीडति होती हैं, इस तथ्य की अनदेखी करता है कि पुरुष भी घरेलू हसिा, उत्पीडन तथा झूठे आरोपों के शकिकार हो सकते हैं।
 - वधिका सुधारों को इन वास्तवकिताओं को स्वीकार करना चाहयि तथा यह सुनश्चिति करना चाहयि कि कानून पुरुषों, महिलाओं तथा अन्य लणियों को समान रूप से संरक्षण प्रादान करें।
- आपराधिक न्याय प्रणाली को संवेदनशील बनाना: न्यायाधीशों, वधिका पेशेवरों और पुलसि को लैंगकि रूढविादति पर प्रशकिक्षण कारयकर्मों तथा कारयशालाओं के माध्यम से अपने स्वयं के अचेतन पूरवाग्रहों को पहचानने एवं चुनौती देने के लयि संवेदनशील बनाने का प्रायास कयिा जाना चाहयि।
- मौजूदा कानूनों में संशोधन: लैंगकि रूप से तटस्थ भाषा को अपनाना आवश्यक है, जसिसे यह सुनश्चिति हो सके कि पुरुष और महिला (यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर व्यकृति भी) समान रूप से संरकषति हों।
 - उदाहरण के लयि, "पति" या "पत्नी" के स्थान पर "जीवनसाथी" जैसे शब्दों का प्रायोग यह सुनश्चिति करता है कि कानून लैंगकि दृष्टकिण से एक को दूसरे पर वरीयता नहीं देता है।
- पुरुषों कल्याण के लयि संस्थाएँ: संस्थाओं को लैंगकि रूप से तटस्थ होना चाहयि। महिला मंत्रालय का नाम बदलकर मानव वकिस कल्याण मंत्रालय करने की ज़रूरत है ताकि हर व्यकृति की सुरकषा हो सके।
- समाज को संवेदनशील बनाना: लैंगकि तटस्थता प्रापुत करने के लयि उन रूढविादतिओं को चुनौती देने की आवश्यकता है जो पुरुषों को मज़बूत और भावनाहीन तथा महिलाओं को कमज़ोर और पोषण करने वाली के रूप में देखती हैं।
 - पुरुष और महिला दोनों ही पीडति या अपराधी हो सकते हैं तथा उनके साथ समान व्यवहार कयिा जाना चाहयि।

[?][?][?][?] [?][?][?] [?][?][?]:

Q. लैंगकि समानता के संदर्भ में, भारतीय कानूनों में पूरवाग्रहों की जाँच कीजयि। भारत में लैंगकि-तटस्थ कानून बनाने के लयि कौन से सुधार आवश्यक हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

[?][?][?][?] [?][?][?] [?][?][?]:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा वशि्व के देशों के लयि 'सार्वभौमकि लैंगकि अंतराल सूचकांक' का श्रेणीकरण प्रादान करता है? (2017)

- (a) वशि्व आर्थकि मंच
- (b) संयुक्त राष्ट्र मानवाधकिार परषिद
- (c) संयुक्त राष्ट्र महिला
- (d) वशि्व स्वास्थय संगठन

उत्तर: (a)

[?][?][?][?] [?][?][?] [?][?][?]:

प्रश्न 1 "महिला सशकृतीकरण जनसंख्या संवृद्धकि नयिंत्रति करने की कुंजी है।" चर्चा कीजयि। (2019)

प्रश्न 2. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजयि। (2015)

प्रश्न 3. महिला संगठनों को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मलिनल चाहलल । टपलणल कलजलल । (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/gender-bias-in-indian-law>

